न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

(न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जहाडू)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/90/2012

वउनवान

1. श्रीमति कमला पुत्री रूपचन्द निवासी तसई तह. कठूमर, हाल बल्लाना जिला अलवर
2. श्रीमति कमलेश उर्फ गिगरी पुत्री रूपचन्द निवासी तसई तह. कठूमर, हाल 75 सैक्टर 3 , पुष्पविहार, नई दिल्ली
3. श्रीमति अनीता उर्फ पप्पी पुत्री रूपचन्द निवासी तसई तह. कठूमर, हाल बल्लाना जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. बन्जो पत्नि भगवानदास निवासी तसई तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर।

----- गैरसायल

दर0 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री राधेश्याम चौधरी एडवोकेट : वकील सायलान

आदेश

दिनांक 04.05.2018

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 187,188,189,190 वाके ग्राम मानपुर तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी सायलान के पिता रूपचन्द पुत्र चन्दूराम मूलरूप से ब्रहमपुरा तहसील पलन्दरी जिला पूंछ (जम्मू–कश्मीर) के निवासी थे भारत–पाकिस्तान के समय हिन्दु मुश्लिम झगडे में हुये नरसंहार से पीडित होकर

Scanned by CamScanner

जम्मू कश्मीर से पयालन किया। विस्थापित परिवार के लिए सायलान के पिता को विवादित आराजी अलौट की थी, वाद अलौट के ही विवादित आराजी पर सायलान के पिता काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। तर. प्रति. संख्या 3 लगातार 19 को ही सायलान के पिता वसायलान ने ही जरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेचान किया जिस पर तर. काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। विवादित आराजी खसरा नम्बर 187,188 का 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 189 का 1/2 दर 3/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 190 कर 25/105 हिस्सा की नियमानुसार अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली , जिसका बेचान सायलान ने जरिये रजि. वयनामा गैरसायल संख्या 12,13,18,19 को बेचान कर कब्जा दिया है, विवादित आराजी से गैरसायला का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना कभी कब्जा रहा है, गैरसायला संख्या 1 तो उसको अलोट हुई 16 बीघा जमीन ग्राम तसई पर काबिज रहकर काश्त कर रही है , जब तक सायलान के पिता रूपचन्द जीवित रहे विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते रहे, उनके फौत हो जाने पर सायलान काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। गैर सायला संख्या 1 चतुर व चालाक किस्म की महिला है जिसने विवादित आराजी में राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त आराजी में अपना नाम दर्ज करा लिया। दिनांक 18.08.2012 को गैरसायला संख्या 1 ने सायलान को एलानियां धमकी दी है कि विवादित आराजी में मेरा नाम खातेदार अलौटी दर्ज चला आ रहा है ,अब मैं तुम्हें विवादित आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूंगी, जबरन बेदखलकर खुद कब्जा करूगीं तथा गैरसायल संख्या 2 के कार्यालय से उक्त आराजी बाबत नियमानुसार फीस जमाकराकर मैने अपने नाम खातेदारी का पट्टा जारी कराउंगी। जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक वो अधिकार नहीं है। गैरसायलान संख्या 1 विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गयीं तो सायलान तबाह एवं बर्बाद हो जावेगी,

Scanned by CamScanner

दीगर मुकदमा बाजी बढ़ेगी, जिससे सायलान को अपार हानि होगी, जिसकी पूर्ति किसी तरह संभव नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 187,188,189,190 वाके ग्राम मानपुर तहसील कठूमर में सायलान के काश्तकारी कार्य करने में किसी किस्म की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने तथा गैरसायल संख्या 2 गैरसायल संख्या 1 के नाम खातेदारी का पट्टा जारी ना करने वावत गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान उपस्थित हुये। गैरसायलान संख्या 2 जवाब पेश करना नहीं चाहते।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी 2028 , जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 ग्राम मानपुर, नकल अलौटमेन्ट की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी सायलान के पिता रूपचन्द को जम्मु कश्मीर से विस्थापित होने पर आवंटित की थी। जिसे गैरसायला ने राजस्व कर्मचारियान से मिलकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो सायलान के हिस्सा में कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट वो मजामहत पैदा ना करें।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अधिवक्ता सायला के तथ्यों का विरोध करते हुये अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्रों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आराजी को सायलान ने दिनांक 31.01.11 करे

Scanned by CamScanner

गैरसायला संख्या 1 को बेचान कर ईकरारनामा तहरीर कर दिया तथा नोटरी से सत्यापित करा दिया तथा उसी दिन गैरसायला संख्या 1 के हक में सहमति पत्र भी लिखकर दे दिया कि उक्त आराजीयात का सनद पट्टा जारी कर दिया जावें। ईकरारनामा की पूर्ति हेतु दिनांक 31.05.11 को बैयनामा गैरसायला नम्बर 1 से चुकती रकम लेकर करा दिया तथा मौके पर कब्जा वक्त ईकरारनामा दे दिया। बैयनामा के आधार पर गैरसायला का नाम राजस्व रिकार्ड में आ गया है। सायलान द्वारा ईकरारनामा एवं बैयनामा का दावा वो दरख्वास्त में कोई हवाला नहीं दिया है। गैरसायला विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। तमाम तथ्य गलत है। अतः प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :—

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना—पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान की वहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी खसरा नम्बरान 187,188 का 1/2 ,189 का 1/2 दर 3/4 ,190 का 25/105 वाके ग्राम मानपुर तहसील कठूमर गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। जिस पर गैरसायलान द्वारा काश्त करने का अनुमान किया जाता है। बैयनामा के द्वारा बेचान की गयी काश्त पर एक खातेदार द्वारा दूसरे खातेदार के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करना गैरकानूनी है। यदि सायलान ने सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो अपार हानि व असुविधा गैरसायलान को होना संभव है। गैरसायलान ने अधिवक्ता द्वारा हाजिर

Scanned by CamScanner

अदालत होकर अपनी ओर से जवाब पेश किया है। सायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुंविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति का विन्दु सायलान के पक्ष में नहीं बनता हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 04.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner